No. F.2/1/2015-EE
Government of India
Archaeological Survey of India

Janpath, New Delhi-110011
Dated: **28 MAY 2015**

To,

1. Prehistory and Excavation Branches, Archaeological Survey of India (ASI).
2. Building Survey Project and Temple Survey Project, ASI.
3. All Circles, ASI.
4. All State Departments of Archaeology.
5. All Universities having Department of Ancient History, Culture and Archaeology.
6. Research Institutions dealing with Archaeology.
7. Web Manager of ASI.

SUB:- INVITING PROPOSALS FOR EXPLORATION / EXCAVATION PROGRAMME FOR THE SEASON 2015-2016 – REGARDING.

Sir,

As you are aware that Section 24 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958 and Rules 1959 stipulates the approval of the Central Government for carrying out any archaeological excavation, which also includes exploration or any operation aimed at discovery of objects of archaeological character. In order to coordinate the excavation programme in the country all the proposals, which are submitted to the Director General, ASI for the approval of the Central Government, are considered by the Standing Committee (SC) of the Central Advisory Board of Archaeology (CABA) for its recommendation.

Your attention is drawn to all such proposals for undertaking archaeological excavation **during the field season 2015-16,** may be forwarded to this office with full details as per the enclosed proforma, latest by **31st July 2015** for placing the same before the SC of CABA.

In case, the excavation programme is a continuation of earlier work, it shall also be mentioned indicating the work done during the last season and scope for future planning along with a detailed report of previous season's work.

Further, the proposal should be problem-oriented in nature and scheme of work may be envisaged for future planning as well so that each year's work may not appear as isolated venture.

Contd...2/-

Proposal for excavation in the areas, which are not protected by the Central Government, **shall be submitted through the respective State Government** who in their turn, may certify that they intend to undertake or authorize the applicant to undertake archaeological excavation in the area which is not a protected area. **In the absence of such recommendation by the concerned State Government, the proposal will be liable to summary rejection and it will not be placed before the Standing Committee of the Central Advisory Board of Archaeology**. This procedure has been prescribed by the Government so as to fulfill requirements of Rule 24 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958 and Rules 1959.

Proposals for excavating **a Centrally Protected Site** shall, however be sent to this office directly, in duplicate, in **Form II** (format enclosed) along with a plan in triplicate indicating the area to be excavated and distinctly marked in red. In case of continuation of work, the area excavated during the last season (s) shall be marked in green ink.

The following points may however be kept in view while submitting the proposals:-

1. The proposals must be drawn and submitted with details as given in enclosed proforma specimen including a plan of the site duly marking therein area proposed to be excavated during the season. Further, the excavated area may be marked distinctly.

2. The proposal should be research-oriented and aimed at filling the missing links and gaps in Indian Archaeology and History with well-defined objectives particularly on prehistoric investigation in north-eastern India, northern Neolithic investigation in Kashmir and Ladakh and also to understand the origin and development of Harappan Culture in the context of indigenous culture in Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat. Besides ancient Buddhist settlements and early medieval and medieval archaeology.

3. The proposals may also be concentrated on salvaging of archaeological remains wherever possible keeping in view of the destruction of archaeological sites due to urbanizations, agricultural expansion, incipient industrialization and encroachment.

4. A comprehensive illustrated report on the result of excavation carried out by the applicant during the last field season, as per approved programme, shall mandatorily accompany the proposal. The Director General, ASI may publish this report in his review. **In the absence of such report, the proposal for the season 2015-16 may not be considered.** Such report shall also be accompanied by a detailed report on antiquity in **Forms IV** (copy enclosed).

5. For the excavation in the areas not protected, by the Central Government, **proposal must route through the concerned State Government**. However, an advanced copy may be submitted to the Director General, ASI.

Contd..p.3/-

6. Applications to apply for proposals are open to class-I, Gazetted Officers of this Survey, Assistant Professor and above from the recognized universities, Deputy Directors / Directors of the state departments and Directors of other institutions having similar status and experience.
7. In case of Universities / Research Institutions, it is necessary that the proposals should be signed by the Registrar / Head of the Institutions, respectively.
8. All such proposal should reach this office positively by **31st July, 2015** direct as well as through the concerned State Government.
9. In case the recommendation from the State Government for approval of any proposal of the University / Research Institution is not received on the **due date i.e. 31st July 2015, the proposals will not be placed before the SC of CABA for its scrutiny and it will be treated as rejected**.
10. Those who have already sent their proposals for exploration / excavation for the season **2015-16** prior to the issue of this circular will have to send it afresh as per enclosed specimen proforma.
11. It may be noted that all the columns should be duly filled in and typewritten. To ensure clarity, handwritten applications may please be avoided.

12. Proposals received after **31st July 2015** and which lack the requirements stipulated above, will be summarily rejected.

13. **The Standing Committee in the meeting held on 3rd January, 2015 for scrutiny the proposal for the last field season 2014-15 recommended that as regards to large scale projects, the licence may be granted for three years at a time subject to timely submission of annual illustrated report and approval of the Director General, Archaeological Survey of India.**

14. Standing Committee also recommended increase of financial assistance by Archaeological Survey of India to the Universities and Research Institutions from 50% to 75%. The increased amount would be spent specifically on scientific analysis and dating purposes only. **The Director General, Archaeological Survey of India has approved the same subject with the condition that the enhanced amount will be spent only on the scientific analysis and for dating of the samples only to be paid directly to the concerned agency.**

Collaboration with foreign nationals / Institutions shall be carried out only after obtaining approval of the Government of India. It shall be ensured by the Indian Collaborators that proper research visa / permission of Ministry of Home Affairs / Ministry of External Affairs of the foreign nationals / an individual associated with the project is obtained prior to the submission of the proposal.

Writing the report is integral part of any archaeological excavation. Therefore, while submitting the proposals for excavation it should clearly be indicated whether report on the previous excavation have been prepared and brought out. If not,

detailed and cogent reasons must be indicated. It may please be noted that no approval for excavation will be granted if the above information is not furnished. The Head of the Institution and Departments shall clearly ensure that there is no pendency in excavation reports of the concerned applicant. Further, they may ensure that if the concerned applicant has pending excavation reports, the application may not be forwarded. The completed reports shall be submitted to the Director General, Archaeological Survey of India, New Delhi in hard as well as soft copy (pdf / format).

The applicants who have pending exploration/excavation report against their names and those who have undertaken exploration/excavation in the last field season are essentially required to submit an Interim Report together with list of antiquity finds, good quality photographs of important finds and location map, along with or before the receipt of fresh application proposal seeking permission/license.

The decision of the Director General, Archaeological Survey of India in accepting or rejecting any proposals would be final.

NOTE: IN THE ABSENCE OF THE ABOVE THEIR APPLICATION MAY SUMMARILY BE REJECTED.

Encl: As above

(Dr. Syed Jamal Hasan)
Director (Exploration & Excavation)
E-mail: direxc.asi@gmail.com

Copy forwarded to all the (Directorate of Archaeology) State departments concerned for information and prompt forwarding of the proposals for exploration / excavation in respect of their State for the season **2015-16** with their recommendations for excavation. It is necessary to fulfill the provisions stipulated in the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958 and the Rules made thereunder. The relevant parts are reproduced below for your ready reference.

*"No State Government shall undertake or authorize any person to undertake any excavation or other like operation for archaeological purposes in any area which is not a protected area except with the previous approval of the Central Government and in accordance with such rules or directions, if any, as the Central Government may make or give in this behalf".... **[Section 24, the AMASR Act, 1958)***

*"Every State Government intending to undertake or authorize any person to undertake any archaeological excavation or other like operation in any area which is not protected area shall intimate its intention to the Central Government at least three months prior to the proposed date of the commencement of the excavation or operation......" **(Rule 24, the AMASR Rules, 1959).***

(Dr. Syed Jamal Hasan)
Director (Exploration & Excavation)

सं एफ. 2/1/2015-ई.ई

भारत सरकार

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

जनपथ, नई दिल्ली-110011

दिनांकः- 28 MAY 2015

सेवा में,

1. सभी उत्खनन तथा प्रागैतिहासिक शाखाएं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
2. मंदिर तथा भवन सर्वेक्षण परियोजनाएं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
3. सभी मंडल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
4. सभी राज्य पुरातत्व विभाग
5. प्राचीन इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्व विभागों वाले सभी विश्वविद्यालय
6. पुरातत्व संबंधी कार्य कर रही अनुसंधान संस्थाएं
7. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का वैब प्रबंधक

विषय : **सत्र 2015-16 के लिए अन्वेषण/उत्खनन कार्यक्रमों हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करने के संबंध में।**

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 24 में किसी भी प्रकार के पुरातत्वीय उत्खनन जिसमें पुरातत्वीय विशेषता वाली वस्तुओं की खोज के उद्देश्य से किए गए अन्वेषण या अन्य कार्य भी शामिल हैं, को करने के लिए केन्द्र सरकार का अनुमोदन लेना निर्धारित किया गया है। देश में उत्खनन कार्यक्रमों का समन्वय करने के लिए केन्द्र सरकार के अनुमोदन के लिए महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को प्रस्तुत किए गए सभी प्रस्तावों पर केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा अपनी सिफारिश करने के लिए विचार किया जाता है।

मुझे आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करने का निदेश हुआ है कि **सत्र 2015-16** के दौरान पुरातत्वीय उत्खनन करने के लिए ऐसे सभी प्रस्ताव संलग्न प्रपत्र में पूरे विवरण के साथ **31 जुलाई 2015** तक इस कार्यालय को प्रेषित कर दिए जाएं ताकि उन्हें केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

यदि उत्खनन कार्यक्रम पूर्व कार्य के क्रम में है तो इसका उल्लेख पिछले सत्र के दौरान किए गए कार्य तथा पूर्व सत्र के कार्य की विस्तृत रिपोर्ट सहित भविष्य की योजना के कार्यक्षेत्र को दर्शाते हुए किया जाए।

इसके अलावा, प्रस्ताव समस्या उन्मुखी प्रकृति का होना चाहिए तथा कार्य की योजना में भविष्य की योजना की भी परिकल्पना की जानी चाहिए ताकि प्रति वर्ष का कार्य अलग कार्य प्रतीत न हो।

ऐसे क्षेत्रों, जो केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित नहीं है, में उत्खनन के प्रस्ताव **संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे,** जो अपनी ओर से यह प्रमाणित करेंगी कि वे असंरक्षित क्षेत्र में स्वयं पुरातत्वीय उत्खनन करना चाहती हैं अथवा आवेदक को पुरातत्वीय उत्खनन करने के लिए प्राधिकृत करती हैं। **संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसी सिफारिश न किए जाने पर, प्रस्ताव को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा इसे केन्द्रीय पुरातत्व सलाहाकार बोर्ड की स्थायी समिति के समक्ष नहीं रखा जाएगा।** यह प्रक्रिया सरकार द्वारा निर्धारित की गई है ताकि प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के नियम 24 की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।

तथापि, किसी **केन्द्रीय संरक्षित स्थल के उत्खनन** का प्रस्ताव दो प्रतियों में **प्रपत्र-II** में (प्रपत्र संलग्न) उत्खनित किए जाने वाले क्षेत्र को दर्शाते हुए तथा विशेष रूप से लाल रंग से चिन्हित करते हुए योजना की तीन प्रतियों के साथ इस कार्यालय को सीधे भेजा जाए। यदि कार्य को जारी रखना है तो पिछले सत्र (सत्रों) में उत्खनित किए गए क्षेत्र को हरी स्याही से चिह्नित किया जाए।

तथापि प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाए:-

1. प्रस्ताव, संलग्न नमूना प्रपत्र में दिए ब्यौरे सहित तैयार कर प्रस्तुत किए जाने चहिएं जिसमें सत्र के दौरान उत्खनित किए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र को विधिवत चिन्हित करते हुए स्थल की एक योजना शामिल की जानी चाहिए।

2. प्रस्ताव अनुसंधान उन्मुख होना चाहिए तथा इसका उद्देश्य प्राचीन बौद्ध बस्तियों तथा आदि मध्ययुगीन तथा मध्ययुगीन पुरातत्व के साथ-साथ सुपरिभाषित उद्देश्य, विशेष रूप से उत्तर पूर्वी भारत में प्रागैतिहासिक अन्वेषण, कश्मीर तथा लद्दाख में नवप्रस्तर अन्वेषण तथा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात में स्वदेशी संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में हडप्पन संस्कृति के उद्गम तथा विकास को समझने सहित भारतीय पुरातत्व तथा इतिहास के गायब सम्बधों तथा अंतरालों को भरना भी होना चाहिए।

3. प्रस्तावों में शहरीकरण, कृषि विस्तार, प्रारम्भिक औद्योगिकीकरण तथा अतिक्रमणों के कारण पुरातत्वीय स्थलों के विनाश को ध्यान में रखते हुए, जहां तक सम्भव हो, पुरातत्वीय अवशेषों के बचाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

4. आवेदक द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार पिछले फील्ड सत्र के दौरान किए गए उत्खननों के परिणाम पर एक व्यापक सचित्र रिपोर्ट, प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से लगाई जानी चाहिए। महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस रिपोर्ट को अपनी समीक्षा में प्रकाशित करवा सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट के न होने पर, **सत्र 2015-16** के लिए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता। ऐसी रिपोर्ट में **प्रपत्र - IV (प्रति संलग्न)** में पुरावशेष पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी लगाई जानी चाहिए।

5. ऐसे क्षेत्रों, जो केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित नहीं हैं, में उत्खनन करने के लिए **प्रस्ताव सम्बंधित राज्य सरकार के माध्यम से भेजे जाने चाहिए।** तथापि, महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एक अग्रिम प्रति भेजी जा सकती है।

6. इस सर्वेक्षण के प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी, सहायक प्रोफेसर और उपर्युक्त मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से, राज्य विभाग के उप-निदेशक / निदेशक और समान स्तर और अनुभव रखने वाले अन्य संस्थाओं के निदेशक प्रस्तावों के लिए आवेदन कर सकते है।

7. विश्व विद्यालयों/अनुसंधान संस्थाओं के मामलें में यह आवश्यक है कि प्रस्ताव पर क्रमश: रजिस्टार/संस्था प्रमुख द्वारा हस्ताक्षर किये जाएं।

8. ऐसे सभी प्रस्ताव सीधे अथवा संबंधित राज्य सरकार की मार्फत इस कार्यालय में **31 जुलाई, 2015** तक अवश्य पहुंच जाने चाहिएं।

9. **निर्धारित तिथि अर्थात् 31 जुलाई,** 2015 तक विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थाओं के किसी प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त न होने की स्थिति में **प्रस्तावों को जांच के लिए काबा की स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा और इन्हें अस्वीकार समझा जाएगा।**

10. इस परिपत्र के जारी होने से पहले जिन्होंने **सत्र 2015-16** के लिए अन्वेषण/उत्खनन के लिए पहले ही अपने प्रस्ताव भेज रखें हैं वे इन्हें संलग्न नमूना प्रपत्र के अनुसार नये सिरे से भेजें।

11. यह नोट किया जाए कि सभी कालमों को विधिवत् रूप से भरा जाए और टाइप किया जाए। स्पष्टता को सुनिश्चित करने के लिए कृपया हाथ से लिखे आवेदनों को भेजने से बचें।

12. **31 जुलाई, 2015** के बाद प्राप्त होने वाले और ऊपर लिखित अपेक्षाओं को पूरा न करने वाले प्रस्तावों को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

13. **पिछले कार्य सत्र 2014-15 के हेतु प्रस्ताव की संवीक्षा करने के लिए, स्थायी समिति ने दिनांक 3 जनवरी, 2015 को हुई बैठक में यह सिफारिश की कि जहां तक बड़े पैमाने की परियोजनाओं का संबंध है, वार्षिक सचित्र रिपोर्ट के यथासमय प्रेषण और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के अनुमोदन के अध्यधीन एक साथ तीन वर्ष का लाइसेंस दिया जा सकता है।**

14. स्थायी समिति ने यह सिफारिश भी की है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया जाए। इस वर्धित राशि को विशिष्ट रूप से केवल वैज्ञानिक विश्लेषण और तिथिनिर्धारण के प्रयोजनार्थ ही खर्च किया जाएगा। **महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्रस्ताव को इस शर्त के साथ अनुमोदित किया है कि इस वर्धित राशि को केवल नमूनों के वैज्ञानिक विशलेषण और तिथिनिर्धारण पर खर्च किया जाएगा और इसका भुगतान सीधे संबंधित एजेंसी को ही किया जाना होगा।**

भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही विदेशी नागरिकों / संस्थाओं के साथ सहयोग किया जाएगा। भारतीय सहयोगियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले इस परियोजना से जुड़े विदेशी नागरिकों / व्यक्ति का उपयुक्त रिसर्च वीजा / गृह मंत्रालय / विदेश मंत्रालय की अनुमति प्राप्त कर ली गई है।

रिपोर्ट लिखना पुरातत्व उत्खनन का एक अभिन्न अंग है। अत: उत्खनन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय यह स्पष्ट रूप से सूचित किया जाए कि पहले किए गए उत्खनन की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और प्रकाशित कर दी गई। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो विस्तृत और ठोस कारण सूचित किए जाएं। कृपया यह नोट करें कि यदि उपर्युक्त रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है तो उत्खनन के लिए अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाएगा। संस्थान और विभागों के प्रमुख कृपया स्पष्ट तौर पर यह सुनिश्चित करें कि संबंधित आवेदक की उत्खनन रिपोर्ट लंबित नहीं है। इसके अतिरिक्त, वे यह सुनिश्चित करें कि यदि संबंधित आवेदक की उत्खनन रिपोर्ट लंबित है तो आवेदन पत्र अग्रेषित न किए जाएं। पूर्ण रिपोर्ट महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी (पी डी एफ / फॉरमेट) में प्रस्तुत की जाए।

वे आवेदक जिनकी अन्वेषण उत्खनन रिपोर्ट लम्बित हैं तथा जिन्होंने अंतिम फील्ड सत्र में अन्वेषण / उत्खनन किया है, को साथ में अथवा अनुमति / लाइसेंस प्राप्त करने संबंधी नए आवेदन प्रस्ताव प्राप्त करने से पहले पुरावशेष खोजों की सूची, महत्वपूर्ण खोजों की बेहतर गुणवत्ता वाली तस्वीरें तथा अवस्थिति नक्शे सहित के साथ-साथ एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य रूप से अपेक्षित है।

किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने या निरस्त करने का महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का निर्णय अन्तिम होगा।

टिप्पणी : उक्त के अभाव में उनके आवेदन निरस्त किए जा सकते हैं।

(डा. सैयद जमाल हसन)
निदेशक (अन्वेषण और उत्खनन)

<u>संलग्न: यथोपरि</u>

प्रतिलिपि, सभी सम्बंधित राज्य विभागों (पुरातत्व निदेशालय) को सूचनार्थ तथा **सत्र 2015-16** के लिए अपने राज्य के संबंध में उत्खनन के लिए अपनी सिफारिश सहित उत्खनन / अन्वेषण संबंधी प्रस्तावों को शीघ्र अग्रेषित करने के लिए प्रेषित। प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में निर्धारित उपबंधों को पूरा करना आवश्यक है। सुलभ संदर्भ के लिए संगत भाग नीचे दिए गए हैं।

"कोई भी राज्य सरकार किसी ऐसे क्षेत्र में, जो संरक्षित क्षेत्र नहीं है पुरातत्वीय प्रयोजनों के लिए किसी उत्खनन या उसी प्रकार की अन्य संक्रिया का भार केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से और ऐसे नियमों या निदेशों के, यदि कोई हों, जो केन्द्र सरकार इस निमित्त बनाए या दें के सिवाय नहीं लेगी और न किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा भार लेने के लिए प्राधिकृत करेगी"...... **(धारा 24, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958)।**

"किसी भी क्षेत्र में जो संरक्षित क्षेत्र नहीं है पुरातत्वीय उत्खनन अथवा उसी प्रकार की किसी अन्य संक्रिया का इरादा रखने वाली अथवा इसके लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करने का इरादा रखने वाली प्रत्येक राज्य सरकार उत्खनन अथवा संक्रिया शुरू करने की प्रस्तावित तारीख से कम से कम तीन महीने पहले इसके इरादे की सूचना केन्द्र सरकार को देगी.... **"(नियम 24 प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959)।**

(डा. सैयद जमाल हसन)
निदेशक (अन्वेषण और उत्खनन)

APPLICATION FOR CARRYING OUT EXPLORATION / EXCAVATION AT AREAS OTHER THAN PROTECTED FOR THE FIELD SEASON 2015 -16

1. Name of the Project (Exploration/ Excavation)

2. Name and address of the applicant
   (Enclose brief profile)
   (If the application is on behalf of an institution, the name thereof should be given)
3. Name of the site :
   Locality:
   District:
   State:
   Lat: Long:
4. Details of previous studies / brief report on work carried out by the applicant during last field season on the proposed site/area, if any

5. Project statement and objectives, time-frame

6. Extent of the proposed excavation or operation

   (A plan of the site in triplicate showing in red outline the extent of the proposed excavation or operation to be attached)
7. Approximate expenditure and the anticipated funding
8. Composition of the team
9. Collaborator, if any
10. Plan for the preservation, maintenance and proper scientific storage of excavated remains and material.
    Approximate Expenditure and Funding
11. Provision for archiving photo, drawing and other documentation materials pertaining to excavation/ exploration
12. Stage of submission of the report(s) on previous exploration (s) / excavation(s) taken up by the applicant / institution

    Year Name of the site Stage of publication of report

13. Any other information

14. I declare that the above information is correct. I also undertake to observe the provisions of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 and the rules made there under.

Station:
Date:

Seal of the Institution

Signature of the applicant
(if the application is on behalf of an institution, the signature should be that of the head of the institution, which term includes the Registrar of a University)

Recommendation of the State Government
(Sites other than Centrally protected)

कार्य सत्र (फील्ड सीजन) 2015–16 के लिए संरक्षित क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में अन्वेषण/उत्खनन करने के लिए आवेदन–पत्र

1. परियोजना का नाम (अन्वेषण/उत्खनन)

2. आवेदक का नाम तथा पता
   (संक्षिप्त प्रोफाइल संलग्न करें)
   (यदि किसी संस्था की ओर से आवेदन किया है तो उसका नाम दिया जाना चाहिए)

3. स्थल का नाम

   स्थान :
   जिला :
   राज्य :
   रेखांश : लक्षांश :

4. पूर्व अध्ययनों का ब्यौरा/प्रस्तावित स्थल/क्षेत्र पर आवेदक द्वारा पिछले कार्य सत्र के दौरान किए गए कार्य की संक्षिप्त रिपोर्ट, यदि कोई है

5. परियोजना विवरण तथा उद्देश्य, समय सीमा

6. प्रस्तावित उत्खनन या कार्य की सीमा
   (प्रस्तावित उत्खनन या कार्य की सीमा को लाल रंग से सीमांकित करते हुए स्थल की योजना तीन प्रतियों में संलग्न की जानी चाहिए)

7. अनुमानित व्यय तथा प्रत्याशित वित्त पोषण

8. दल का संघटन

9. सहयोगी, यदि कोई हो

10. उत्खनित अवशेषों और सामग्री के परिरक्षण, अनुरक्षण और समुचित वैज्ञानिक संचयन के लिए योजना
    अनुमानित व्यय तथा वित्तपोषण

11. उत्खनन/अन्वेषण से संबंधित फोटो/आरेखों और अन्य प्रलेखन सामग्रियों के लिए प्रावधान

12. आवेदक/संस्था द्वारा किए पिछले अन्वेषण (अन्वेषणों)/उत्खनन (उत्खननों) पर रिपोर्ट (रिपोर्टें) प्रस्तुत करने का चरण

वर्ष	स्थल का नाम	रिपोर्ट के प्रकाशन का चरण

13. कोई अन्य सूचना

14. मैं घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त सूचना सही है । मैं प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का पालन करने का भी वचन देता/देती हूं ।

आवेदक के हस्ताक्षर
(यदि आवेदन किसी संस्था की ओर से है तो हस्ताक्षर संस्था के प्रमुख के होने चाहिए जिसमें विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार भी शामिल है)

स्थान :

दिनांक :

संस्था की मोहर

राज्य सरकार की सिफारिश
(केंद्रीय संरक्षित स्थलों के अलावा अन्य स्थल)

FORM –II

Application for Licence to excavate in a Centrally Protected Area for the field season 2015-2016

(Vide rule 12)

1 Name and address of applicant (if the application is on behalf of an institution, the name thereof should be given)

2. Name of the site
Locality
District
State

3. Extent of the proposed excavation and time-frame (a plan of the site in triplicate showing in red outline the extent of the proposed excavation to be attached)

4. Approximate expenditure on the proposed excavation

I declare that the above information is correct. I also undertake to observe the provisions of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 and the rules made thereunder.

Station:
Date:
Seal of the institution

Signature of the Applicant
(if the application is on behalf of an institution, the signature should be that of the head of the institution, which term includes the Registrar of a university)

प्रपत्र – II

कार्य सत्र 2015–2016 के लिए केंद्रीय संरक्षित क्षेत्र में उत्खनन के लाइसेंस के लिए आवेदन –पत्र
(नियम 12 के अनुसार)

1. आवेदक का नाम तथा पता
(यदि किसी संस्था की ओर
से आवेदन किया है तो उसका
नाम दिया जाना चाहिए)

2. स्थल का नाम

स्थान :
जिला :
राज्य :

3. प्रस्तावित उत्खनन की सीमा और समय–सीमा
(प्रस्तावित उत्खनन की सीमा को लाल रंग
से सीमांकित करते हुए स्थल की योजना
तीन प्रतियों में संलग्न की जानी याहिए)

4. प्रस्तावित उत्खनन पर अनुमानित व्यय

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना सही है । मैं प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का पालन करने का भी वचन देता/देती हूँ ।

स्थान :

दिनांक :

संस्था की मोहर

आवेदक के हस्ताक्षर
(यदि आवेदन किसी संस्था की ओर से
है तो हस्ताक्षर संस्था के प्रमुख के होने
चाहिए जिसमें विश्वविद्यालय का
रजिस्ट्रार भी शामिल है)

FORM IV

Report on Antiquities excavated in a protected area
(Vide rule 16)

Name of site
Locality
District
State
Report for the period from-----------------------to-----------------------------

S.No.	Class of antiquities	Material	Number of antiquities		Appx. age	Remarks
			Complete	Fragmentary		

Station:
Date:

Signature of the Licensee

1- In the case of potsherds, the approximate number should be stated.

प्रपत्र – IV

संरक्षित क्षेत्र में उत्खनित पुरावशेषों पर रिपोर्ट

(नियम 16 के अनुसार)

स्थल का नाम

स्थान :

जिला :

राज्य :

.... से .... तक की अवधि के लिए रिपोर्ट

क्रम सं.	पुरावशेषों की श्रेणी	सामग्री	पुरावशेषों की संख्या		अनुमानित आयु	टिप्पणियां
			पूर्ण	खंडित		

स्थान

दिनांक

लाइसेंसधारी के हस्ताक्षर

1. ठीकरों (पोटशेर्ड) के संबंध में, अनुमानित संख्या बतानी होगी।